संख्या–पी-162/81-2-2023-800(159)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 जून 2023

विषय- जनपद बलिया में बलिया-गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या--एफपी/यू0 पी0/रोड/148569/2021)।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3646/11-सी-एफपी/यू0 पी0/रोड/148569/2021, दिनांक 19.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बिन्दु-4.3 के अनुक्रम में जनपद बलिया में बलिया-गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 4 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जाती है:-

1.	Legal status of the Forest land shall remain unchanged.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department double Degraded forest land with 10 years maintenance at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monocultures of any species may be avoided. No fast growing trees will be planted.
3	The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collator.
4	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.
5	The user agency shall provide suitable under/ over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/ FAC/ REC.
6	The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Enviromental (Protection), Act,1986, if applicable.
7	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government
8	No labour camp shall be established on the forest land.
9	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel
10	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
11	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
12.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
13	The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project

	proposal.
14	The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
15	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-Green watch portal with all requisite details before commencement of work.
16	The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
17	Project completion report and Stage-ii compliance report shall be submitted within a period of 6 months of completion of project.
18	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
19	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.
20	प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
21	उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
22	वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।
24	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006- IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा ।
25	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
26	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
27	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वणित प्रकरण से संबंधित उपरोक्त शर्तें/प्रतिबंधों (Terms & Conditions) के संबंध में अपनी सत्यापन रिर्पोट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी
28	प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोर्ट्रेशन चार्जेज वन

	निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।
29	सम्प्रति प्रचलित व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की देयता के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06-01-2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19-01-2022 का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
30	परियोजना में बाधक 04 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है। अतएवं प्रस्तावक विभाग को बाधक वृक्षों का 10 गुना अर्थात 40 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।
31	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी
Date: 19-06-2023 11:51:35
Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. वन महानिरीक्षक, केन्द्रीय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आजमगढ एवं बलिया।
3. वन संरक्षक आजमगढ वृत्त आजमगढ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।
5. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आजमगढ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।